कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोकनगर (म0प्र0)

—: परिपत्र :—

क्रमांक 08 अशोकनगर, दि. 28-6-22

प्रायः यह देखने में आया है कि न्यायालयों द्वारा न्यायालय कक्षों में संस्थापित 23 इंच डिस्प्ले पैनलों का उपयोग नहीं किया जा रहा है तथा कम्प्यूटर उपकरणों को उपयोग पश्चात् विधिवत् रूप से बंद नहीं किया जा रहा है, जिस कारण आये दिन कम्प्यूटरों के खराब होने की समस्याएं उत्पन्न हो रही है।

तथा यह देखने में भी आ रहा है कि न्यायालय/अनुभागों में लेजर प्रिंटरों की कार्टेज की मांग अत्याधिक की जाती है। न्यायालयों/अनुभागों में संस्थापित लेजर प्रिंटर की तुलना में फोटोकॉपी मशीन से प्रिंटआउट लेना सस्ता होता है।

साथ ही यह भी देखने में आता है कि न्यायालयों/अनुभागों में अनावश्यक रूप से एवं कक्षों किसी भी कर्मचारी के उपस्थित न होने की स्थिति में न्यायालय कक्षों/अनुभागों (कक्षों के बाहर सहित) लाईट, पंखे, कूलर चालू छोड़ दिये जाते हैं।

अतः समस्त पीठासीन अधिकारीगणों को यह निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधिनस्थ कर्मचारियों को आवश्यक रूप से निर्देशित करें कि न्यायालयों/अनुभागों में **प्रिंटआउट निकालने संबंधी कार्य लेजर प्रिंटरों की अपेक्षा फोटो कॉपी मशीन के माध्यम से करें** तथा न्यायालयों में संस्थापित **32 इंच डिस्प्ले पैंनल सिस्टम का नियमित रूप से उपयोग करें** तथा न्यायालयीन समय पश्चात् एवं उपयोग न होने की स्थिति में अपने आधिपत्य के समस्त कम्प्यूटर उपकरणों जैसे— डेस्कटॉप, प्रिंटर, यू0पी0एस0, व्ही0सी0 यूनिट, 32 इंच टी0व्ही (न्यायालय कक्ष के बाहर संस्थापित), इंटरनेट मॉडेम (न्यायाधीश के विश्राम कक्ष में) आदि को आवश्यक रूप से बंद करें तथा उक्त सभी उपकरणों की सुरक्षा एवं उचित रख—रखाव हेतु धूल—पानी आदि से बचाव के उपाय सुनिश्चित करें।

साथ ही समस्त पीठासीन अधिकारीगणों को यह निर्देशित किया जाता है विद्युत एवं वित्त की अपव्ययता को रोकने हेतु अधिनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित करें कि न्यायालय से **बाहर निकलते समय एवं उपयोग न होने की स्थिति में न्यायालयों/अनुभागों के समस्त विद्युत उपकरणों को आवश्यक रूप से बंद करें।**

उक्त परिपत्र का कड़ाई से पालन किया जावे।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अशोकनगर म0प्र0

पृ0कमांक 1167 अशोकनगर दिनांक 28-6-22

प्रतिलिपिः—

01. समस्त पीठासीन अधिकारी, जिला न्यायालय, अशोकनगर तहसील न्यायालय मुंगावली/चंदेरी/ईसागढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालानार्थ प्रेषित।
02. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट अशोकनगर की ओर जिला न्यायालय अशोकनगर की बेवसाईसाई पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
03. लेखापाल, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोकनगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अशोकनगर म0प्र0